A4/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 46/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/96

प्रार्थीगणः–

देवासीयों का बास रोहट के रहवासियों के प्रतिनिधीगण

1. मूलाराम पुत्र पेमाराम
2. भंवराराम पुत्र केसाराम
3. ओमाराम पुत्र भीमाराम
4. चेनाराम पुत्र शिवाराम
5. चेलाराम पुत्र ढलाराम
6. मांगीलाल पुत्र शिवाराम
7. तेजाराम पुत्र ओमाराम
8. हेदूराम पुत्र श्विाराम

जातिगण देवासी निवासीगण देवासीयों का बास रोहट तहसील रोहट जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. महेन्द्र कुमार पुत्र जेपाराम जाति देवासी निवासी देवासीयों का बास रोहट, तहसील रोहट जिला पाली
2. सरपंच ग्राम पंचायत रोहट
3. मुन्नीर खां पुत्र गन्नी खा जाति सिन्धी मुसलमान, निवासी सिवांची गेट के अन्दर सिन्धीयों का बास जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.6.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत रोहट के संकल्प संख्या 8 दिनांक 20.07.2004, मिसल संख्या 103/2004–05 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र कुमार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2625 दिनांक 20.07.2004 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद नोटिस तामीली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थीगण तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम रोहट में देवासियों के बास में सार्वजनिक चौक पिछले कई वर्षो से स्थित है जिसके पडौस उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में आम रास्ता, पूर्व दिशा में आम रास्ता तथा पश्चिम दिशा में धनाराम पुत्र शिवाराम देवासी का मकान स्थित है। जैर निगरानी पट्टा बिना मिसल कायम किये फर्जी एवं कूटरचित रूप से तैयार किया गया है। जिसकी नकले चाहे जाने पर ग्राम पंचायत ने अवगत करवाया कि उक्त पट्टा पत्रावली ग्राम पचांयत रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। साथ

अति. जिला कलेक्टर, पाली

की विकास अधिकारी रोहट की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2012 में अंकितानुसार अप्रार्थी को जारी पट्टा बही के नम्बर से अन्य किसी ग्रामीण वासीयों को पट्टा जारी नहीं हुआ है तथा न ही इस नम्बर की पट्टा बही है तथा यह भी पाया गया कि प्रस्तुत पट्टे में अप्रार्थी द्वारा पट्टा संख्या पर कांट–छांट की गई है। उक्त पट्टा बही अप्रार्थी द्वारा अन्य जगह से प्राप्त कर पट्टा बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय विलेख हेतु कोई आवेदन पेश नहीं किया, न ही पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के पक्ष में नियम 157 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितिकरण के प्रावधान है जबकि मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई भी पुश्तैनी कच्चा/पक्का मकान स्थित नहीं है। उक्त कूटरचित जैर निगरानी पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में दिनांक 24.08.2020 को रजिस्ट्री पंजीबद्ध करवायी गयी। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों को दरकिनार कर विधिविरूद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अतः जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी प्रकरण में यदि नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाती है तो उन्हे कोई उजर ऐतराज नहीं है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत रोहट की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2012 में अंकितानुसार ग्राम पंचायत में जैर निगरानी पट्टा की पट्टा बही का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है तथा उक्त पट्टा बही के नम्बर से अन्य किसी ग्रामणी वासियों को पट्टा जारी नहीं हुआ है एवं न ही इस नम्बर की पट्टा बही है। प्रस्तुत पट्टे में प्रार्थी द्वारा पट्टा संख्या पर कांट–छांट कर प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा बही प्रार्थी द्वारा अन्य जगह से प्राप्त कर पट्टा बनया गया। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 को जारी जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध अनुचित तरीके से जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 27.05.2024 में अंकितानुसार पट्टा संख्या 2625 से सम्बन्धित पट्टा बुक ग्राम पंचायत को आवंटन (प्राप्त) नहीं है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय सिविल न्यायाधीश, पाली द्वारा दिवानी मूलवाद संख्या 96/2012 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2015 की प्रमाणित प्रति के पैरा संख्या 11 में अंकितानुसार प्रपत्र 23 आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा बुक नम्बर 43 से 52 कुल बुके 10 जिसमें पट्टा संख्या 2101 से 2600 तक है, को ग्राम पंचायत रोहट को आवंटित की गई थी तथा पट्टा संख्या 2601 से 3000 तक की ग्राम पंचायत झीतडा को आवंटित की गई थी। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित पट्टा संख्या 2625 की पट्टा बुक ग्राम पंचायत रोहट को आंवटित ही नहीं हुयी थी, जब पट्टा बुक ग्राम पंचायत के पास है ही नहीं तो जैर निगरानी पट्टा कैसे जारी हो सकता है ? अर्थात् ग्राम पंचायत ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में फर्जी तरीके से जैर निगरानी पट्टा निष्पादित किया है जो विधिविरूद्ध होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा जैर निगरानी पट्टा खारिज योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रोहट के संकल्प संख्या 8 दिनांक 20.07.2004, मिसल संख्या 103/2004–05 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र कुमार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2625 दिनांक 20.07.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)